23/1/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील गैर हाजिर। एक-एक बार-बार आवाज लगाने के बाद भी प्रार्थी व प्रार्थी वकील गैर हाजिर। बाद का वाद अदम पैरवी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः TI प्रारंभ चलने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली रिकार्ड नस्ती न होकर ही जाकर आमिल अमवाद होवे।